



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072022-237231
CG-DL-E-11072022-237231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]
No. 492]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 9, 2022/आषाढ़ 18, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 9, 2022/ASHADHA 18, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 530(अ).—केन्द्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 43 ड की उपधारा (4) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनकी अर्हताएँ, नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) अभिप्रेत है ;

(ख) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ; और

(ग) “चयन समिति” से अनुसूची के स्तंभ (12) के अधीन निर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है ;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5 अस्थाई आधार पर नियुक्ति - (1) यदि परिषद उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से किसी पद को भरने के लिए समर्थ नहीं है तो परिषद किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास चयन समिति की राय में उस पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ हैं, एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा जिसे परिषद के अनुमोदन से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।

(2) ऐसे संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का पारिश्रमिक परिषद के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से उस पद के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के प्रतिनिदेश से नियत किया जाएगा।

6 नियुक्ति प्राधिकारी - अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत परिषद का कोई अन्य अधिकारी परिषद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परंतु यह कि जहाँ परिषद का कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होने के लिए प्राधिकृत है वहाँ अध्यक्ष ऐसे अधिकारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परंतु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया - (1) किसी पद पर सीधी भर्ती करने की प्रक्रिया जहाँ कहीं भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

(i) परिषद, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा ;

(ii) अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन की जाएगी ; और

(iii) यदि चयन समिति समुचित समझे तो एक खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया के आधार पर चयनित ऐसी परीक्षा आयोजित करने के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभिकरण के माध्यम से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी।

(2) चयन समिति द्वारा भर्ती की जाएगी।

8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया:— प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया जहाँ भी अनुसूची में निर्दिष्ट है, निम्न अनुसार होगी, अर्थात् :-

(i) परिषद, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;

(ii) अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन की जाएगी; और

(iii) चयन के लिए, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार संचालित किया जाएगा;

परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों पर आरंभिक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

9. प्रतिनियुक्ति की अवधि.— (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इस निमित्त समय समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकेगी।

परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तारण के लिए प्रत्येक अनुरोध के केन्द्र के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार को अग्रप्रेषित किया जाएगा।

(3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेलन.—(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रतिनियुक्त की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात आमेलन के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा।

(2) आमेलन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुपोदन से परिषद द्वारा किया जाएगा।

(3) आमेलन इस शर्त के अधीन होगा कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करता है और मूल विभाग या काडर नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे आवेदन के लिए आपत्ति नहीं होगी।

11. अनुशासनिक कार्यवाही.—परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के तत्स्थायी वेतनमान के समूह क, समूह ख या समूह ग पदों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।

12. वास-सुविधा.—परिषद के अधिकारी और कर्मचारी उसी दर पर मकान किराए भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उसी स्थान पर तैनात तत्स्थानी वेतनमान में पदधारण करने वाले, यथास्थिति, समूह क, समूह ख और समूह ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

13. सेवा की शर्तें.—वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त फायदे, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो केन्द्रीय सरकार में तत्स्थानी वेतन में, यथास्थिति, समूह क, समूह ख या समूह ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्समय लागू है।

14. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त किसी भी पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. अवशिष्ट उपबंध.—ऐसे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, परिषद द्वारा विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद-संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 13 ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन या संविदा नियुक्तियों के संबंध में विचार करने के लिए चयन समिति	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे उप निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर दस वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p>	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान	04* (2022)	लागू नहीं होता ।	स्तर-12 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।

कर्मचारिवृंद अधिकारी	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
----------------------	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत पात्र अभ्यर्थियों की, योग्यता सह ज्येष्ठता, के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>वांछनीय : विधि में डिग्री।</p>	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष -अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप निदेशक।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 11।	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी	(i) परिषद के अध्यक्ष -अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

<p>में छह वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हैं।</p>	<p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रधान निजी सचिव।	04* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 11।	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>(i) पचास प्रतिशत पात्र अभ्यर्थियों की, योग्यता सह ज्येष्ठता, के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और</p> <p>(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे निजी सचिव जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियुक्ति के पश्चात् वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्ति के पश्चात् सात वर्ष नियमित सेवा की हैं।</p> <p>वांछनीय : विधि में डिग्री।</p>	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष - अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक निदेशक ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	स्तर - 10 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे कार्यपालक सहायक और सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं ।</p>	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष -अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक निदेशक (लेखा) ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	स्तर -10 ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।
(11)	(12)		(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी-		लागू नहीं होता ।

<p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में सहायक लेखा अधिकारी या संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में सहायक लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखाकार या लेखाकार के रूप में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>वांछनीय: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या लेखा कर्म में बैचलर डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(2) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य सेवा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण ।</p>	<p>सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य</p>	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. निजी सचिव ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 8 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(ii) पचास प्रतिशत पात्र अभ्यर्थियों की, योग्यता सह ज्येष्ठता, के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ; और (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने दो वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में कोर्ट मास्टर या आशुलिपिक श्रेणी ग'के रूप में नियुक्ति के पश्चात् कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p>	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष</p> <p>- अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती</p> <p>- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य</p> <p>- सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. कार्यपालक सहायक/ सहायक अनुभाग	01* (2022)	लागू नहीं होता ।	स्तर –7 ।	लागू नहीं होता ।	21-32 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए

अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी)।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।
-------------------------------	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या कम्प्यूटर उपयोजन या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री ; और (ii) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में कम्प्यूटर कार्यक्रमण या डाटा प्रसंस्करण में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	सीधी भर्ती। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) संकर्म और कार्यक्रमण संबंधी कम्प्यूटर नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य (iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. कार्यपालक सहायक/ सहायक अनुभाग अधिकारी।	05* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-7।	लागू नहीं होता।	21-32 वर्ष। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ; (ii) किसी केंद्रीय सरकार संस्थान या	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	सीधी भर्ती। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी

राज्य सरकार संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय या बोर्ड से कम से कम 6 मास की अवधि का कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र ; और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्वशासी निकाय में प्रशासन के क्षेत्र में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव (नियमित या संविदा पर) ।		के लिए 2 वर्ष ।	या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी :- (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (ग) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
---	--	--------------------	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य (iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. कार्यपालक सहायक/ सहायक अनुभाग अधिकारी (लेखा) ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	लागू नहीं होता ।	स्तर-7 ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :- आवश्यक:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वद्यालय या संस्था	(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष (ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य (iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी- सदस्य (iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ	लागू नहीं होता ।

<p>से बैचलर डिग्री हो।</p> <p>वांछनीय:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 कॉम डिग्री ;</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र ;</p> <p>(iii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ; और</p> <p>(iv) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।</p>	सदस्य- सदस्य	
--	--------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. निजी सचिव।	05* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-8।	अचयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>(i) पात्र अभ्यर्थियों की 'योग्यता सह ज्येष्ठता' के आधार पर पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।</p> <p>(ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष नियमित सेवा की हो ;</p>	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती- सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी - सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य-सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12 आशुलिपिक श्रेणी 'घ'।	03* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर- 4।	लागू नहीं होता।	<p>21-32 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण :</p> <p>आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम</p>

					तारीख होगी।
--	--	--	--	--	-------------

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) कौशल परीक्षा मानक: श्रुतलेख: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन (कंप्यूटर पर): 50 मिनट (अंग्रेजी); 65 मिनट (हिंदी) और</p> <p>(iii) किसी केंद्रीय सरकार संस्थान या राज्य सरकार संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम से कम छह मास की अवधि का कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>सीधी भर्ती।</p> <p>टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरी जा सकेगी :-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) किसी केन्द्रीय सरकार संस्थान या राज्य सरकार संस्थान अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम से कम छह मास की अवधि का कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।</p>

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>(i) परिषद के अध्यक्ष- अध्यक्ष</p> <p>(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशित-सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी - सदस्य</p> <p>(iv) परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. स्टाफ कार चालक।	05* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर-2।	लागू नहीं होता।	<p>18-27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण :</p> <p>आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) जिनके पास हल्की मोटर यान के लिए विधिमाम्य चालन अनुज्ञप्ति हो।</p> <p>(ii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी को यान में की छोटी मोटी</p>	(v) लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	सीधी भर्ती।

खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए)। (iii) कम से कम तीन वर्ष का हल्की मोटर यान चलाने का अनुभव हो। (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-60011/152/2019-प्रशासन.III(एलए)]

सुनीता आनंद, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2022

G.S.R. 530(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 84 read with sub-sections (4) and (5) of section 43M of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules regulating the number of officers and employees, qualifications, appointment and other terms and conditions of services, of the Secretariat of the Council, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Arbitration Council of India (Number of officers and other Employees, their qualifications, appointment and other Terms and Conditions) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Arbitration and Conciliation Act, 1996(26 of 1996);

(b) “Schedule” means Schedule annexed to these rules; and

(c) “Selection Committee” means the Selection Committee referred to under column (12) of the Schedule.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. **Appointment on temporary basis.**- (1) In case the Council is not able to fill up any post due to non-availability of suitable candidates or any other reason, the Council may appoint any person, who in the opinion of the Selection Committee, is possessing the qualifications prescribed for appointment to the post on contract for a period of one year which may be extended up to a maximum period of three years with the approval of the Council.

(2) The remuneration to such contractual appointee may be fixed in consultation with the Financial Advisor of the Council with reference to the pay level in the pay matrix prescribed for the post.

6- **Appointing authority.** - The Chairperson or any other officer of the Council authorised by the Council shall be the appointing authority of the officers and employees of the Council:

Provided that where an officer of the Council is authorised to be appointing officer, the Chairperson shall be the appointing officer of such officer;

Provided further that the appointing authority shall consult the Central Government before any appointment is made.

7. **Procedure for direct recruitment.** - (1) The procedure for making direct recruitment to a post, wherever specified in the Schedule, shall be as follows, namely:-

- (i) the Council shall invite applications for the post through an advertisement on all India basis;
- (ii) the applications shall be screened by a Screening Committee constituted by the Chairperson; and
- (iii) the Selection Committee may, if it considers appropriate, recommend a preliminary examination to be conducted through an agency having experience in the field of conducting such examination selected on the basis of an open competitive process.

(2) The recruitment shall be made by the Selection Committee.

8. **Procedure for appointment on deputation.** - The procedure for appointment on deputation, wherever specified in the Schedule, shall be as follows, namely:-

- (i) the Council shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis;
- (ii) the applications shall be screened by a Screening Committee constituted by the Chairperson; and
- (iii) interviews shall be conducted for selection by the Selection Committee:

Provided that the initial appointment to the posts on deputation basis may be made by the Central Government.

9. **Period of deputation.** - (1) The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.

(2) The period of deputation may be extended with the approval of the Central Government in accordance with the orders and instructions of the Central Government issued from time to time in this behalf:

Provided that every request for extension of the period of deputation shall be forwarded to the Central Government with prior approval of the Council.

(3) The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

10. **Absorption of employees appointed on deputation.** - (1) Notwithstanding anything in these rules, the persons appointed on deputation shall, on successful completion of the deputation term, be eligible to be considered for absorption.

(2) The absorption shall be made by the Council with the prior approval of the Central Government.

(3) The absorption shall be subject to the condition that the deputationist exercises his option for absorption and the parent Department or the cadre controlling authority shall not have objection for such absorption.

11. **Disciplinary proceedings.** - The disciplinary proceedings against the officers and other employees of the Council shall be as per rules and regulations applicable to officers and employees belonging to Group A, B or C posts, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government.

12. **Accommodation.** - The officers and employees of the Council shall be entitled to a house rent allowance at the same rate, as are admissible to officers and employees belonging to Group A, B and C posts, as the case may be, of the Central Government holding the post in corresponding scale of pay, stationed at those places.

13. **Conditions of service.** - The conditions of service of the officers and other employees of the Council in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group A, B or C posts, as the case may be, in corresponding scales of pay in the Central Government.

14. **Disqualification.** - No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

17. Residuary provisions. - Matters with respect to which no express provision has been made under these rules, shall be referred by the Council to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Director.	*1 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 13.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Selection Committee for considering cases of promotion or deputation or absorption or contract appointments.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by Deputation (including short-term contract).	Promotion. - Deputy Director with eight years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in Level – 12 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with ten years regular service in Level – 11 of the pay matrix rendered after appointment thereto.	(i) Chairperson of the Council-Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer – Member. (iv) Expert Member to be nominated by	Not applicable.

		the Chairperson of the Council- Member.	
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Senior Principal Private Secretary / Principal Staff Officer.	4* (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level -12.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty per cent. by promotion on the basis of 'merit cum seniority' of eligible candidates, failing which on deputation (including short term contract); and (ii) fifty per cent. by deputation (including short term contract).	Promotion. - Principal Private Secretary with five years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five year regular service as Principal Private Secretary in Pay Level- 11 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with at least eight year regular service as Private Secretary in Pay Level- 8 of the pay matrix rendered after appointment thereto. Desirable. – Degree in Law.	(i) Chairperson of the Council – Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer –Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Deputy Director.	*2 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 11.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by Deputation (including short-term contract).	Promotion. - Assistant Director with six years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or	(i) Chairperson of the Council- Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee –	Not applicable.

	(ii) with five years regular service in Level – 10 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with six years regular service in Level – 9 of the pay matrix rendered after appointment thereto.	Member. (iii) Chief Executive Officer –Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council-Member.	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. Principal Private Secretary.	*4 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 11.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty per cent. by promotion on the basis of 'merit cum seniority' of eligible candidates failing which on deputation (including short term contract); and (ii) fifty per cent. by deputation (including short term contract).	Promotion. - Private Secretary with six years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six year regular service as Private Secretary in Pay Level- 8 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with seven year regular service as Personal Assistant in Pay Level- 7 of the pay matrix rendered after appointment thereto. Desirable. – Degree in Law.	(i) Chairperson of the Council – Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer –Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Assistant Director.	*2 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 10.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by Deputation (including short-term contract).	Promotion. - Executive Assistant and Assistant Section Officers with eight years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or	(i) Chairperson of the Council-Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member.	Not applicable.

	(ii) with two years regular service in Level – 8 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with three years regular service in Level – 7 of the pay matrix rendered after appointment thereto.	(iii) Chief Executive Officer –Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council- Member.	
--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Assistant Director (Accounts).	*1 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 10.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service as Assistant Accounts Officer or Auditor in the pay Level – 8 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with eight years regular service as Junior Accounts Officer or Senior Accountant or Accountant in pay Level - 7 of the pay matrix rendered after appointment thereto. Desirable. - (1) Bachelors degree in commerce or accountancy from a recognised University or equivalent. (2) Having a pass certificate in subordinate accounts service or equivalent service conducted by any organised accounts Department of the Central Government or training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management.	(i) Chairperson of the Council-Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer – Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council-Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Private Secretary.	*2 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 8.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty per cent. by promotion on the basis of 'merit cum seniority' of eligible	Promotion. - Personal Assistants with two years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, -	(i) Chairperson of the Council – Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive	Not applicable.

<p>candidates failing which on deputation (including short term contract); and</p> <p>(ii) fifty per cent. by deputation (including short term contract).</p>	<p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with at least two years regular service as Court Master or Stenographer Grade 'C' in Pay Level-7 of the pay matrix rendered after appointment thereto.</p>	<p>Officer –Member.</p> <p>(iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.</p>	
---	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8. Executive Assistant / Assistant Section Officer (Information Technology)	<p>*01 (2022)</p> <p>* Subject to variation depending upon work load.</p>	Not applicable.	Level – 7.	Not applicable.	<p>Between 21 and 32 years. (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.</p>	<p>i) Bachelors degree in Computer Science or Computer Technology or Computer Engineering or Masters' Degree in Computer Application or Computer Science from any recognised University or Institution; and</p> <p>(ii) three years experience in computer programming or Data processing or Networking in any reputed organisation.</p>	Not applicable.	2 years for direct recruit.

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Direct recruitment.</p> <p>Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals or autonomous bodies, -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years regular service in Level – 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and</p>	Not applicable.	<p>(i) Chairperson of the Council – Chairperson.</p> <p>(ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member.</p> <p>(iii) Chief Executive Officer –Member.</p> <p>(iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council –</p>	Not applicable.

(b) having two years' experience in handling computer networks, information technology related works and programming.		Member.	
---	--	---------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. Executive Assistant/ Assistant Section Officer.	*5 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 7.	Not applicable.	Between 21 and 32 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note:- the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	(i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Diploma or Certificate in Computer applications of at least 6 months duration from any Central Government Institute or State Government. Institute or recognised University or Board; and (iii) two years working experience (regular or contractual) in the field of administration in any Central Government or State Government. Department or autonomous body.	Not applicable.	2 years for Direct Recruit.

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment. Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (a) holding analogous post on regular basis; or (b) with five years regular service in Level – 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (c) with eight years regular service in Level – 5 of the pay matrix rendered after appointment thereto.	Not applicable.	(i) Chairperson of the Council – Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer – Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Executive Assistant/ Assistant Section Officer (Accounts).	1* (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 7.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract).	Deputation (including short term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,- Essential :- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in Level – 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and (b) possessing a Bachelor's degree from a recognised University or Institution. Desirable. - (i) B.Com degree from a recognised University; (ii) having a pass certificate in subordinate accounts service or equivalent examination conducted by any organised accounts Department of the Central Government; (iii) having successfully completed training in cash and accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management; and (iv) working knowledge of computers.	(i) Chairperson of the Council – Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer – Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11. Personal Assistant.	*5 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 7.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Fifty percent by promotion on the basis of 'merit cum seniority' of eligible candidates failing which on deputation (including short term contract); and (ii) fifty percent by deputation (including short term contract).	Promotion. –Stenographer Gr.'D' with ten years regular service. Deputation (including short-term contract). - Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies, - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with ten year regular service as Stenographer Grade 'D' in the Level – 4 of the pay matrix rendered after appointment thereto.	(i) Chairperson of the Council – Chairperson. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member. (iii) Chief Executive Officer – Member. (iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12. Stenographer Grade 'D'.	*3 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 4.	Not applicable.	Between 21 and 32 years (Relaxable for Government Servant up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.	(i) Bachelor's degree from a recognised University. (ii) Skill test Norms: Dictation: 10min. @ 80 w.p.m.. Transcription (on computer): 50 min (Eng.); 65 min (Hindi); and (iii) Diploma or Certificate in computer applications of at least six months duration from any Central Government Institute or State Government Institute or recognised University or Board.	Not applicable.	two years for direct recruit.

(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Direct recruitment.</p> <p>Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis from the Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five year regular service in Level – 3 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and</p> <p>(b) having a Diploma or Certificate in computer applications of at least six months duration from any Central Government Institute or State Government Institute or recognized University or Board.</p>	Not applicable.	<p>(i) Chairperson of the Council – Chairperson.</p> <p>(ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his nominee – Member.</p> <p>(iii) Chief Executive Officer – Member.</p> <p>(iv) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Council – Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13. Staff Car Driver.	*5 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 2.	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servant up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note: the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications.	(i) Possession of a valid driving license for light motor vehicles; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) experience of driving light motor vehicle for at least three years; and (iv) pass in 10th Standard from a recognised Board or Institute.	Not applicable.	2 years.

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 60011/152/2019-Admn.III (LA)/NDIAC]

SUNITA ANAND, Jt. Secy. and Legal Adviser